

27-5-18

आमदार

राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य सरकार के
 तहत ग्राम पंचायत के नोटिफिकेशन जारी करने के
 लिए पत्रावली मात्र राजस्थान लोक सेवा आयोग
 के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर चले
 जाएगी वही न 1 व 3 नंबर पर निर्वाही न 1 व 3
 उपस्थित दोनों पक्षों की सुझावों को
 ध्यान में रखा जायेगा और इस संबंध में
 चलने का कोई आदेश नहीं है कल: प्रमुख

~~इसका~~

राजस्थान

21.2.18

रवाही 1 किया जाता है पत्रावली को ध्यान में रखा
 है कि यह है कि न 1 व 3 नंबर पर
 जायेंगे

(म)

अनीक